//निर्णय//

(दिनांक 12.08.2026)

1. अभियुक्त रामकिशन पिता रामलाल रायकवार, उम्र-41 साल, नि०-पुलिया, के विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

2. अभियुक्त द्वारा अभियोजित अपराध का कारित किया जाना स्वैच्छापूर्वक स्वीकारा गया।

3. अभियुक्त द्वारा अभियोजित अपराध का किया जाना स्वीकारा गया। अभियुक्त को अपराध स्वीकारोक्ति के परिणाम एवं अभियोजित अपराध के दंड की मात्रा से अवगत करवाया गया। स्वीकारोक्ति के संबंध में तस्दीकी की गई। स्वीकारोक्ति स्वतंत्र सम्मति से स्वैच्छा किया जाना परिलक्षित है। फलतः अभियुक्त को उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के अभियोग में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

//दण्डादेश//

4. दोषी रामकिशन पिता रामलाल रायकवार उम्र-41 साल को म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा **34(1)** के अंतर्गत दंडनीय अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं रुपये 1500/- अक्षरी रुपये पन्द्रह सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

5. अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर दोषी को **10 दिन** का साधारण अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।

6. दोषी से जब्तशुदा शराब खुले होने की दशा में नष्ट की जाए सीलबंद होने पर विधिवत् आबकारी विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रदत्त की जाकर संबंधित प्राधिकारी से पावती ली जावे।

Shweta

(श्वेता सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मंदसौर, जिला मंदसौर (म.प्र.)